उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–8
संख्या–2466/नौ–8–2012–2सी.एस./2012
लखनऊः दिनांकः 13 अक्टूबर, 2014

कार्यालय–ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में पशुवधशालाओं से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में दायर रिट याचिका–(सिविल) 309/2003, लक्ष्मीनारायण मोदी बनाम यूनियन आफ इण्डिया के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर पारित किये गये आदेशों के अनुपालन में सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अर्द्ध शा0 पत्र सख्या–7/4/2011–ए.डब्लू.डी. दिनांक 02.7.2012 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पशुवधशालाओं के संचालन से सम्बन्धित विषयों के कियान्वयन हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1838/नौ–8–2012–2सी0एस0/2012 दिनांक 11 सितम्बर, 2012 द्वारा प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में **"राज्य स्तरीय समिति"** का गठन किया गया है।

2– रिट याचिका (सिविल)309/2003लक्ष्मीनारायण मोदी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2014 के अनुपालन में श्री राजीव शर्मा, एच.जे.एस. ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार (जूडिशियल)(सर्विसेज) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अर्द्धशा0 पत्र संख्या–सी–717/सी.एफ.(बी)/2014 दिनांक 26 जून, 2014 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के कम में श्री रियासत हुसैन, सेवानिवृत्त जिला जज, 4/66 ए, राना मंजिल, बदर बाग, अनूपशहर रोड, जनपद अलीगढ़–202001 को पशुवधशालाओं के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में गठित **"राज्य स्तरीय समिति"** में कन्वीनर (Convener) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्षो की अवधि के लिए नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते है।

3– श्री रियासत हुसैन, सेवानिवृत्त जिला जज को कन्वीनर (Convener) के रूप में नामित किये जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से रू0 20,000.00 (रूपये बीस हजार मात्र) प्रतिमाह मानदेय के रूप में अनुमन्य होगा तथा उनके द्वारा कार्यालय के संचालन हेतु आवश्यक सुविधायें तथा नियमानुसार यात्रा भत्ता आवश्यकतानुसार देय होगा।

4– श्री रियासत हुसैन, सेवानिवृत्त जिला जज को कार्यालय तथा कार्यालय के संचालन हेतु अन्य आवश्यक सुविधायें तथा उनके कार्यालय की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या–2466 (1)/नौ–8–2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री राजीव शर्मा, एच.जे.एस. ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार (जूडिशियल)(सर्विसेज) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी नगर विकास विभाग।
4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण/पंचायतयीराज/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/गृह विभाग/श्रम विभाग/पशुधन विभाग/नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
8. सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. विशेष सचिव एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
11. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, सेन्ट्रल फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्स अथारिर्टी आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
12. मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, नगरीय निकाय
15. श्री जफर अमीन "डक्कू", निवासी खोखर टोला, पोस्ट गीताप्रेस जनपद गोरखपुर।
16. श्री मनवीर सिंह चिकारा, आवास विकास कालोनी–1 टेम्पो स्टैंड , अमरोहा।
17. श्री रियासत हुसैन, सेवानिवृत्त जिला जज 4/66 ए, राना मंजिल, बदर बाग, अनूपशहर रोड, जनपद अलीगढ़–202001
18. श्री एम.आर. शमशाद, एडवोकेट ऑन रिकार्ड मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, बी–4 (एल.जी.एफ.) जंगपुरा एक्सटेंसन, नई दिल्ली–110014
19. नियुक्ति अनुभाग–4/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)

उप सचिव।